न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—90/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/90)

1. अशरफ पुत्र स्व0 लाल मोहम्मद निवासी गांव माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती शांति पुत्री स्व0 लाल मोहम्मद पत्नी अल्लाबख्स जाति मेरात निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली।
3. श्रीमती सकीना पुत्री स्व0 लाल मोहम्मद पत्नी नजीर जाति मेरात निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली।

अपीलांटस

बनाम

1. ईस्माईल पुत्र लाडू
2. मिश्रु पुत्र लाडू
3. अहमदा पुत्र लाडू
   समस्त जाति मेरात निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. श्रीमती धन्नी पत्नी अली मोहम्मद **(फौत)** जरिए वारिसानः—
   4/1 अली मोहम्मद पति धन्नी
   4/2 अजमाल काठात पुत्र अली मोहम्मद
   4/3 जमालुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद
   समस्त जाति मेरात निवासी मास्टर कॉलोनी मेवाडी गेट के बाहर ब्यावर जिला अजमेर।
   4/4 श्रीमती टेमा पुत्री अली मोहम्मद जाति मेरात निवासी रूपनगर घाटी तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
   4/5 श्रीमती फेमीदा पत्नी स्व0 करामत पुत्री अली मोहम्मद जाति चीता निवासी ग्राम व पोस्ट हटूण्डी तहसील व जिला अजमेर।
   4/6 श्रीमती रसूली पत्नी मस्तान पुत्री अली मोहम्मद निवासी ग्राम राण्डमारी(झाक) तहसील मसूदा जिला अजमेर।
   4/7 श्रीमती सुशीला पत्नी अशोक पुत्री अली मोहम्मद जाति मेरात निवासी मुकाम व पोस्ट मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. नजीर पुत्र घीसा
6. शफी पुत्र सुवा
7. बाबू पुत्री सुवा
8. अनवर पुत्र सुवा
9. रोशन पुत्र सुवा
10. श्रीमती जडाव बेवा सुवा
    जाति मेरात निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर तहसील जिला अजमेर।
12. श्रीमती हमीदा पुत्री लाडू पत्नी घीसा निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी फतेहगढ सल्ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट

13. अकबर पुत्र लाल मोहम्मद निवासी माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

वादी/रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 48/2004 (2004/00036)

उपस्थितः–

1. श्री एस0पी0औझा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/7
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10, 12, 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–29.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2004 (2004/00036) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस एवं वादी/रेस्पोडेंट संख्या 13 तथा मूमल बेवा लाल मौहम्मद जिसका की दौराने वाद स्वर्गवास हो गया ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद दर्ज होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी सयंख्या 6,8,9,11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व 7 एवं 10 की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद के कथनों को अस्वीकार किया तथा पन्नी व अन्नी बेवा गुलाब को खातेदार काश्तकार होना स्वीकार किया तथा वादी को अन्नी व पन्नी के जाईन्दा पुत्री धन्नी थी जिसके पक्ष में दिनांक 21.7.1966 को वसीयत निस्पादित की गई है जिसमें उक्त भूमि के अलावा तमाम चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत करना अंकित किया है तथा वसीयत नामें के आधार पर धन्नी खातेदार काश्तकार हुई तथा विवादित आराजी दिनांक 14.6.1975 को धन्नी ने लाडू पुत्र वजीरा को पंजीकृत बयनामा से बेचान कर दिया है जो लाडू पुत्र वजीरा को पंजीकृत बयनामा से बेचान कर दिया है जो लाडू पुत्र वजीरा के नाम दर्ज रही तथा वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा चला आ रहा है अंकन किया है तथा अपने जवाब में अन्य कथन अंकित करते हुए वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। दावा व जवाब के आधार पर दादरसी सहित 6 तनकीयात कायम की गई तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदार्श 1 लगायत 9 प्रस्तुत किए एव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की इसी तरह प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श ए 1 से प्रदर्श ए 15 व प्रदर्श डी 1 जमाबंदी पेश की तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्ततु की गई अंत में उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं

पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2004 (2004/00036) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10, 12, 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा दावा जवाबदावा के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई थी उसमें तनकी संख्या 1 यह कायम की गई कि आया वादीगण मौजा माण्डेडा के आराजी खसरा नम्बर 242 के हाल खसरा नम्बर 309 की विवादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने जिस प्रकार कायम की उस प्रकार निर्णित नहीं किया क्योंकि वादी/अपीलान्ट का वाद गोद पुत्र घोषणा व गोद पुत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया था बल्कि वादीगण/अपीलान्ट का वाद यह था कि विवादित आराजी का इन्द्राज अन्य आराजी के साथ नामा० सं० 94 दिनांक 15.01.1967 पारित कर दिया है जिसका जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 में खातेदारी इन्द्राज होकर खातेदार दर्ज था जिसको भू–प्रबन्ध अधिकारी ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना प्रतिवादी सं० 5 धन्नी के नाम दर्ज करने का अधिकार भू–प्रबन्ध अधिकारी को नहीं था वो केवल पूर्व की प्रविष्टि को रिपीट कर सकते है तथा राजस्व रिकार्ड में धन्नी के नाम किस आदेश से इन्द्राज हुआ जिसका अंकन नहीं है जबकि वादीगण/अपीलान्ट ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें प्रदर्श–1 नामा ० सं० 94 दिनांक 2019, 15.01.1967, प्रदर्श–2 जमाबन्दी 2016 से प्रदर्श–3 जमाबन्दी 2020 से 2023, प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल से साबित कर दिया था तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी ने अवैधानिक रूप से प्रदर्श–6 खसरा परिशोधन में किस प्रकार परिवर्तन किया इसलिये उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने उक्त तनकी में आवश्यक तथ्यों जिसमें गोद पुत्र प्रस्तुत नहीं करना, पंजीकृत वसीयत को तरजिह मिलना तथा गुलाब की मृत्यु पर पन्नी व अन्नी के नाम के साथ लाल मोहम्मद का नाम दर्ज नहीं होना मानकर तथा वादी/रेस्पो० अकबर द्वारा दिनांक 01.09.2019 को राजीनामा प्रस्तुत करने का आधार मानकर तनकी सं० 1 को गलत रूप से विवेचित कर अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। इसलिये निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। तनकी सं0 2 यह कायम की गयी थी कि आया वादीगण विवादास्पद आराजी में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम हटवाने हेतु दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने तनकी सं० 1 की पूरक होना मानकर तनकी सं० 1 में विस्तृत विवेचन के आधार पर ही वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी। जबकि तनकी में सम्पूर्ण विवेचन तथा निष्कर्ष पारित करना चाहिये था। जबकि वादी/अपीलान्ट ने यह साबित कर दिया था जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 साक्ष्य से स्पष्ट है चूंकि प्रतिवादीगण सं० 5 धन्नी के नाम किस दस्तावेज से राजस्व रिकार्ड में नाम आया है यह स्पष्ट नहीं है और

वादी/अपीलान्ट के पूर्व खातेदारी इन्द्राज के विरूद्ध चाराजोही किये बिना भू–प्रबन्ध अधिकारी ने अवैध रूप से धन्नी का नाम दर्ज कर दिया जिसने आगे चलकर प्रतिवादी सं० 1 से 4 के पिता लाडू को बेचान कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं० 1 से 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने का वादी अधिकारी था उसके बावजूद उक्त तनकी आदेश 20 नियम 4 के विपरीत जाकर वादीगण के विरुद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। तनकी सं० 3 यह कायम की गयी थी कि आया वादीगण वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रतिवादी सं० 1 से 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसे सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने तनकी सं0 1 व 2 जो वादीगण के विरूद्ध तय पाये जाने के आधार पर यह तनकी भी वादी/अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णित कर दी। जबकि उक्त तनकी में कब्जे बाबत् स्पष्ट फाईडिंग देनी चाहिये थी क्योंकि विवादित आराजी पर प्रारम्भ से ही अपीलान्ट व उसके पिता काबिज काश्त है जो स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी थे। उसके बावजूद उक्त तनकी को गलत रूप से वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर वाद को खारिज करने में भारी भूल की है। तनकी सं0 4 यह कायम की गयी थी कि आया वादीगण ने पन्नी व अन्नी का दत्तक पुत्र लाल मोहम्मद होने बाबत् किसी प्रकार का गोदनामा को तहरीर या ग्राम वासियान के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। उक्त तनकी को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने गलत रूप से निर्णित किया है क्योंकि वादी/अपीलान्ट के नाम तो पूर्व में नामा० दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है साथ ही प्रदर्श–9 जो दिनांक 15.05.1946 का फौजी प्रमाण पत्र है जिसमें लाल मोहम्मद की वल्दीयत गुलाबा दर्ज है साथ ही धन्नी के नाम जिस वसीयत का निस्पादन होना बताया जिसमें ख0न0 242 का अंकन ही नहीं है। धन्नी के नाम तो भू–प्रबन्ध के दौरान अपीलान्ट व उसके पूर्वज की खातेदारी को चुनौती दिये बिना गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया जिससे रेस्पो० को कोई हक व अधिकार नहीं दिये जा सकते है और ना ही बयनामा को चुनौती देने की आवश्यकता है इसलिये उक्त तथ्यों गलत रूप से निर्णित किये गये है। तनकी सं0 5 यह कायम की गयी थी कि आया वादीगण द्वारा दावा में पूर्व राज्य सरकार को 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस नहीं दिये जाने से वाद वादी निरस्तनीय है। प्रथम तो उक्त तनकी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि विवादित आराजी में कोई सिवायचक आराजी नहीं है बल्कि प्राईवेट खातेदारों के मध्य खातेदारी आराजी के बाबत् विवाद है इसलिये सिवाय चक आराजी का कोई विवाद नहीं होने से उक्त तनकी गलत रूप से निर्णित की गयी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2004 (2004/00036) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008(1)पेज 151, आरआरटी 2001(1) पेज 244 प्रस्तुत किए गए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादीगण ने वाद पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि वादपत्र में वर्णित कथन कत्तई गलत झूठे व असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है। मुस्मात पन्नी व अन्नी बेवा गुलाब मेहरात निवासी माण्डेडा खातेदार काश्तकार होना स्वीकार है। साबिक खसरा नम्बर 75 में वर्णित आराजियात का हिस्सा वादीगण के क्रमशः पति व पिता श्री लाल मौहम्मद वल्द गुलाबजी जो कि गुलाब जी के व अन्नी व पन्नी के दत्तक पुत्र होने के कारण बजरिये नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 06.03.1967 ग्राम पंचायत द्वारा अंकन करने का आदेश दिया जाना तथा उसके आधार पर राजस्व लेखों में वादीगण के पिता व पति का नाम बतौर खातेदार चला आना कत्तई गलत है। वादीगण ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अन्नी व पन्नी ने वादीगण को दत्तक पुत्र पुत्रान के रूप में किस तारीख को गोद लिया तथा कोई गोदनामा वादीगण के पास है या नहीं इसका वर्णन भी नहीं किया गया है। मुस्मात अन्नी व पन्नी ने वादीगण को कभी भी गोद नहीं लिया क्योंकि वादीगण को अन्नी व पन्नी द्वारा गोद लेने का कोई दस्तावेजी सबूत भी वादीगण के पास नहीं है, स्व० अन्नी व पन्नी को वादीगण के पति व पिता स्व. श्री लाल मौहम्मद को गोद लेने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही लाल मौहम्मद ने कभी भी अन्नी व पन्नी के पास रहकर कोई सेवा चाकरी की क्योंकि पन्नी के जायन्दा लड़की श्रीमति धन्नी जीवित थी और वह ही अपनी मां की सेवा चाकरी करती थी तथा अपनी पुत्री की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 21.07.1966 को रजिस्टर्ड वसीयतनामें द्वारा उक्त भूमि के अलावा तमाम चल व अचल जायदाद मरने के बाद श्रीमति धन्नी की होना जाहिर किया तथा श्रीमति पन्नी के मरने के बाद उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी व वारीस होने तथा वसीयतनामे के आधार पर श्रीमति धन्नी उक्त आराजियात की खातेदार काश्तकार हुई और उक्त आराजी श्रीमति धन्नी के कब्जे में ही चली आ रही थी। राजस्व रेकार्ड में जिस नामान्तकरण का वर्णन किया गया है वह नामान्तरण पत्र का कोई अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नहीं हुआ तथा लाला मौहम्मद ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करके उक्त नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया जिसको राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं मिली इस कारण उक्त नामान्तकरण कत्तई अवैध व शून्य था। जिसके आधार पर वादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित आराजियात धन्नी की मालिकाना अधिकारो की भूमि थी जिसने दिनांक 14.06.1975 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा उक्त आराजी श्री लाडू पुत्र वजीरा को बेचान करके उस पर कब्जा सौंप दिया था तथा उक्त बेचाननामे के आधार पर लाडू पुत्र वजीरा के नाम पर नामान्तकरण हो चुका है और बरोज बेचान से उक्त आराजियात पर लाडू वल्द वजीरा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट 2027 को मान्यता नहीं मिलने तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने सेटलमेंट अधिकारीयों व कर्मचारीयों से मिलकर आराजियात अपने नाम नामान्तकरण करवाने का जो आरोप लगाया वह कत्तई गलत है। वर्किंग जमाबंदी में लाडू पुत्र वजीरा का नाम अंकित की गई है तथा उसके बाद राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व गिरदावरीयो में उक्त आराजी लाडू पुत्र वजीरा के नाम अंकित चली आ रही है। इस कारण विवादित आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है और लाडू पुत्र वजीरा की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा चला आ रहा है और उक्त आराजियात पर लाडू के वारिसान ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

दस्तावेजी आधारों पर नामान्तकरण खोला गया जिसको चेलेन्ज करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण वाद की आवश्यकता उत्पन्न होना कथन किया है जो गलत है. वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादी नं. 1 से 4 का निरन्तर 30 साल से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने यह झूठा दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजियात पर अपना कब्जा होना बताने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो कत्तई गलत है। राजस्व रेकार्ड 1350 फसली में उक्त आराजी जिसके खाता खेवट संख्या 86 रकबा 10–04–10 में उक्त आराजी पन्नी व मुस्मात अन्नी बेवानान गुलाब बहिस्से बराबर दो हिस्से अंकित चला आ रहा था तथा खतौनी जमाबंदी 1350 फसली में भी वजीरा पुत्र कला कौम ढोली की खातेदारी में 242 आराजी ताबेमर्जी अंकित चली आ रही थी तथा चौसाला गिरदावरी संवत 2051 व उसके बाद संवत 2055, 2056, 2057, 2058 में उक्त आराजियात हाजरा बैवा लाडू, ईस्माईल, मिश्रु, अहमद पिसरान लाडू के कब्जे काश्त में अंकित चला आना राजस्व रेकार्ड में है तथा वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजियात लाडू पुत्र वजीरा के नाम अंकित चली आ रही है तथा उसके बाद राजस्व रेकार्ड उक्त आराजी रहीमा वल्द वजीरा की खसरा गिरदावरियों में काश्त होना अंकित हो रखा है। रहीमा नाऔलाद फौत हो गया था उसके बाद तमाम गिरदावरीयों में लाडू पुत्र वजीरा का नाम राजस्व अभिलेखों में चला आ रहा है तथा उक्त आराजी दिनांक 14.06.1975 को श्रीमती धन्नी पुत्री पन्नी से उक्त आराजियात रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा खरीद कर ली गई तथा उक्त आराजियात पर प्रतिवादी नं. 1 से 4 का कब्जा निरन्तर राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है, इसके विपरीत वादीगण का किसी भी वर्ष के राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित नहीं है। वादीगण ने श्री लाल मौहम्मद को दत्तक पुत्र पन्नी व अन्नी का होना कथन करके उक्त वाद प्रस्तुत किया है जबकि वाद के साथ न तो कोई गोदनामा या किसी प्रकार की कोई तहरीर प्रस्तुत की है व न ही गांव के व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिससे यह प्रतीत हो सके कि श्री लाल मौहम्मद को पन्नी व अन्नी ने गोद लिया हो। लाल मौहम्मद ने ग्राम पंचायत से मिलकर दिनांक 06.03.1967 को मिलीभगत कर अपना नाम अंकन करा लिया लेकिन उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ उसमें उसका नाम अंकित नहीं हुआ क्योंकि लाल मौहम्मद का कोई अधिकार विवादित आराजियात पर नहीं था तथा पन्नी की पुत्री श्रीमती धन्नी जीवित थी तथा श्रीमती पन्नी ने अपनी पुत्री को जरिये वसीयत उक्त आराजियात दे दी थी तथा श्रीमती धन्नी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता लाडू को उक्त आराजियात रजिस्टर्ड बेचान द्वारा बेचान कर दी तथा बेचाननामा के आधार पर दाखिल खारिज लाडू के नाम स्वीकार हो चुका था और राजस्व रेकार्ड में लाडू का नाम बतौर खातेदार चला आ रहा है। इस कारण वादीगण को उक्त आराजियात में कोई अधिकार या किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 है तथा रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र देकर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, जो वादीगण कतई प्राप्त करने के अधिकारीगण नही है। दावा से पूर्व धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस नहीं दिया गया है। इस कारण भी वाद निरस्त किये योग्य है। अतः वादीगण का वाद मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के

हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2018 पेज 90, आरआरडी 1989 पेज 744, आरआरडी 1989 पेज 527, आरबीजे 1999 पेज 158 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वर्तमान अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम माण्डेडा के साबिक खसरा नम्बर 242 हाल खसरा नम्बर 309 वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदारी उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था वादी/अपीलांट द्वारा अपने उक्त राजस्व वाद के माध्यम से निवेदन किया था कि विवादित आराजीयात बाबत वादीगण के पति/पिता लाल मोहम्मद पुत्र गुलाब विधिनुसार मृतक गुलाब के दत्तक पुत्र होने के कारण उक्त आराजीयात बाबत उन्हें खातेदार/काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण जरिए स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री जारी कर पाबंद किया जाए तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रतिवादी संख्या 5 धन्नी पत्नि अली मोहम्मद का संबंध व सरोकार नहीं है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेटलमेंट के दौरान उक्त अराजीयात को प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती धन्नी के नाम दर्ज कर दिया है जो कि गलत है तथा धन्नी द्वारा उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पति/पिता लाडू पुत्र वजीरा को गैर कानूनी रूप से अंतरित कर दी तथा उक्त आराजीयात जो कि वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद प्रतिवादीगण 1 लगायत 5, 7 व 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे व जवाब दावे के आधार पर 6 तनकीयां कायम कर बयान लेखबद्ध किए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपांत अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि गुलाब खान के निधन के पश्चात उक्त आराजीयात उनकी बेवा पन्नी व अन्नी के नाम जमाबंदी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श 2 के रूप में दर्ज है तथ इसी प्रकार से प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2020 से 2023 में भी वादग्रस्त आराजीयात पन्नी व अन्नी बेवा गुलाब के नाम दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 21.07.1966 प्रदर्श ए–14 से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 5 धन्नी जोजे श्री अली को प्राप्त हुई है तथा वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के पति/पिता लाल मोहम्मद मृतक गुलाब के गोद गए हों उक्त आशय से संबंधित किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड/अनरजिस्टर्ड गोदनामा अधीनस्थ न्यायालय अथवा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं तथा प्रदर्श 1 नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 15.1.1967 में वादीगण के पिता/पति श्री लाल मोहम्मद का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय अथवा हाजा न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रदर्श ए–14 पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.7. 1966 यह स्पष्ट है कि पन्नी बेवा गुलाब के द्वारा उनके जेठ वजीरा की लडकी धन्नी के नाम किया जाना अंकित है तथा धन्नी के द्वारा

विधिवत रूप से पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 14.6.1975 धन्नी जोजे अली द्वारा लाडू वल्द वजीरा को उक्त आराजीयात का बेचान किया गया जो कि प्रदर्श ए–15 के रूप में अंकित है तथा वादी/अपीलांट द्वारा गुलाब की अन्य आराजीयात बाबत चाराजोही नहीं कर केवल मात्र खसरा नम्बर 242 रकबा 1–12–00 हाल खसरा नम्बर 309 बाबत ही राजस्व वाद ही क्यों प्रस्तुत किया है इस बात का उल्लेख भी वादीगण/अपीलांट स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण/अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों से न्यायालय हाजा क समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के पति/पिता लाल मोहम्मद मृतक गुलाब खान के संबंध में पंजीकृत अथवा अपंजीकृत गोदानामा प्रस्तुत करने में अधीनस्थ न्यायालय तथा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

प्रदर्श–1 की पुश्त पर ग्राम पंचायत द्वारा यह अंकित किया गया है कि श्री लाल मोहम्मद जन्म से ही श्री गुलाब के गोद गए हुए थे और श्रीमती पन्नी पत्नि गुलाब का दवा दशमा(रीति रिवाज) से लाल मोहम्मद ने ही किया है। अतः दाखिल खारिज लाल मोहम्मद के ही नाम जोडा जावे। इस आधार पर लाल मौहम्मद ने ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.03.1967 को अपना नाम अंकन करा लिया। क्यों कि ग्राम पंचायत को इस आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को गोदपुत्र घोषित कर सके चूंकि गोदपुत्र घोषित करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। क्योंकि लाल मौहम्मद का कोई अधिकार विवादित आराजियात पर नहीं था लेकिन उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ उसमें उसका नाम अंकित नहीं हुआ तथा पन्नी की पुत्री श्रीमती धन्नी जीवित थी तथा श्रीमती पन्नी ने अपनी पुत्री को जरिये वसीयत उक्त आराजियात दे दी थी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–9 जो कि एक सर्विस (फौज) डायरी है, जिसमें लाल मोहम्मद के पिता का नाम गुलाब अंकित है परंतु उक्त डायरी से यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि यह वही गुलाब है, जिसके गोदपुत्र होने का कथन वर्तमान प्रकरण में लाल मोहम्मद द्वारा किया गया है, परंतु गोदनामे में गोद लेने वाले व गोद देने वाले का पूर्ण हवाला/उल्लेख होता है व पूरी विधिवत प्रक्रिया द्वारा गोद लिया जाता है, प्रदर्श–9 फौज की डायरी के आधार पर गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–9 के जरिए वादीगण गोदपुत्र होने का कथन साबित कर पाने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से जवाबदावा पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में 6 तनकीयां कायम कर तथा प्रत्येक तनकी पर विस्तृत रूप से तनकी का विवेचन कर बाद साक्ष्य एवं बयान समाहित कर उभयपक्ष की बहस सुनवाई कर विधिनुसार तनकीवार निर्णय दिनांक 22.3.2021 पारित किया है जो कि विधिनुसार सही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2004 (2004/00036) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर